न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–राजगढ़

निगरानी – 5289/2018/राजगढ़/अ.90

श्री ... द्वारा आज दि. 29.8.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 07.9.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 29.8.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

मैसर्स शिवहरे लिकर्स भागीदार विनोद कुमार शिवहरे, लायसेंसी देशी/विदेशी मदिरा दुकान, राजगढ़ निवासी – वार्ड नं.4, विवेक टॉकीज के पास, ब्यावरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.)

–– आवेदक

विरूद्ध

1. मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, राजगढ
2. जिला आबकारी अधिकारी, जिला राजगढ़
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, राजगढ (ब्यावरा) (म.प्र.)

–– अनावेदकगण

न्यायालय/कार्यालय कलेक्टर, जिला राजगढ़ द्वारा निर्देशित अनुसार जिला आबकारी अधिकारी, राजगढ़ (ब्यावरा) द्वारा क्रमांक आब./ठेका/ 18/1276 में पारित आदेश दिनांक 10.08.2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

29/08/18

मोननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आवेदक को शील बन्द बोतलों में देशी स्प्रिंट के फुटकर विक्रय के लिये लायसेंस वर्ष 2018–19 के लिए मूल्य 3,22,16,673/– रूपये में सी. एस.–2 का लायसेंस दिनांक 31.03.2018 को दिया गया था। इसकी अवधि दिनांक 01.04.2018 से 31.03.2019 तक के लिए है। इसी लायसेंस प्रारूप सी.एस.2 में स्थल का विवरण पुरानी दूध डेयरी, राजगढ़ चारों तरफ बाउण्ड्री से घिरा, उत्तर में– खुला नाला, पूर्व में– पुरा जाने का रोड एवं दक्षिण में– काली पीठ जाने का रोड तथा पश्चिम में– नाले के किनारे खुली जगह का स्पष्ट उल्लेख है और इसी उपरोक्त निर्देशित स्थान पर आवेदक द्वारा अपनी दुकान का प्रारम्भ किया गया था, जो आज दिनांक तक निरंतर चला आ रहा है।
2. यहकि, आवेदक द्वारा शासकीय भूमि (पुरानी दुध डेयरी) के स्थान पर दुकान संचालन किये जाने हेतु विधिवत आवेदन पत्र जिला आबकारी, जिला राजगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था एवं उल्लेख किया गया था कि कार्यालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी–5289/2018/राजगढ़ /भू.रा.

थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं ः आदि के हस्त
18-04-2019	यह निगरानी जिला आवकारी अधिकारी, राजगढ (व्यावरा) व्दारा आवेदक को लिखे गये पत्र कमांक आ./ठेका/18/1276 दिनांक10–8–2018 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी मेमो के तथ्यानुकम में आवेदक के अभिभाषक एंव म0प्र0शासन के पैनल लायर के तर्क सुने तथा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत निगरानी नियमों के प्रकाश में जिला आवकारी अधिकारी, राजगढ (व्यावरा) के पत्र दिनांक 10–8–2018 का अवलोकन किया गया। जिला आवकारी अधिकारी, राजगढ (व्यावरा) ने पत्र दिनांक 10–8–2018 भेजकर आवेदक से अपेक्षा की है कि वह जिला पंचायत भवन दूध डेयरी को अन्यत्र स्थापित करे अर्थात जिला आवकारी अधिकारी, राजगढ (व्यावरा) की अपेक्षा जिला पंचायत भवन दूध डेयरी को आवेदक के कब्जे से रिक्त कराने वावत् है। मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 में व्यवस्था दी गई है कि किन के आदेश का पुनरीक्षण किया जा सकता है ? धारा 50 (1) के अनुसार पुनरीक्षण की अधिकारिता से युक्त न्यायालय केवल अपने अधीनस्थ राजस्व अधिकारियों के आदेश अथवा कार्यवाहियों का पुनरीक्षण कर सकते हैं। जिला आवकारी अधिकारी, राजगढ (व्यावरा) व्दारा किये गये किसी पत्राचार के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत निगरानी अग्राह्य होने से निरस्त की जाती है। सदस्य	